

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-प.6(2)ए.सी.आर./अ.स./अभि./17/ 3967-4074 दिनांक-20/3/18
प्रेषित:-

- 1.-समस्त उप निदेशक अभियोजन,
राजस्थान ।
- 2.-समस्त उप निदेशक अभियोजन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान ।
- 3.-समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान ।
- 4.-समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान ।
- 5.-समस्त लोक/विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक (अभियोजन अधिकारी),
राजस्थान ।
- 6.-सी.आई.डी.(सी.बी.)/आर.पी.ए./जे.डी.ए.-1, 2/राज. पुलिस मु. जयपुर।
- 7.-उप निदेशक अभियोजन (मु.) राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने हेतु अवधि **31 मार्च 2018 तक बढ़ाये जाने के क्रम में।**

प्रसंग:-कार्मिक (क-1/गो.प्र./विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) / कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक-27.12.2017, 31 जनवरी 2018, 15 फरवरी 2018, 28 फरवरी 2018 तथा 15 मार्च 2018 के क्रम में

कार्मिक (क-1/गो. प्र.) विभाग के पत्रांक-प.13(76)/कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक-27.12.2017 द्वारा राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न परिपत्र/प्रक्रिया में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार पालना करना सुनिश्चित करें ।

अभियोजन विभाग में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी जो कि उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा परिपत्र के अनुसार आगामी वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही ऐसी सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर संगणित होगा।

अतः उक्त प्रासांगिक परिपत्र के क्रम में आप अपनी एवं आपके अधीन पदस्थापित राजपत्रित अधिकारी से वर्ष-2017 के लिए 01.01.2018 की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना निर्धारित अवधि **31 मार्च 2018 तक अनिवार्य रूप से स्वयं द्वारा ऑन-लाईन करवाया जाना सुनिश्चित करें ।**
संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

— Sd —
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1.-विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप-10) विभाग राजस्थान, जयपुर ।

2.-कार्मिक (क-1/गो. प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) कार्मिक/क-1/गो. प्र./2011 दिनांक 15.03.2018 के क्रम में ।

3.-सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर उक्त समस्त को ई-मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित हैं ।

216/-
20/3/18
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गोप्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 5 MAR 2018

-:परिपत्र:-

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाइन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.17 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2017 (1 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयानुबन्धि 31 मार्च 2018 तक बढ़ायी जाती है। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी थी। वे सभी अधिकारी इस अवधि में संशोधित प्रविष्टियां अंकित कर ऑन-लाइन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।